

05.03.25

पत्रावली पेरा हुई। न्यायालय समयमें अधिवक्ता
वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय
पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी
एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।
मिहाना वादी का वाद अदम पेंसिव व
'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।
पत्रावली फाइल नुमां होकर दाखिल दफ्तर
हो व नंबर से कम हो।

[Signature]
05/03/25

सहायक जज
(फास्ट ट्रेक) बाजारा

